कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1535/11–सी–FP/UP/Road/148569/2021, लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर ,2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद–बलिया में बलिया–गाजीपुर से बिहार बार्डर तक (मांझीघाट) तक बनने वाले 4 लेन ग्रीन फील्ड के निर्माण में प्रभावित 0.49 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–162/81–2–2023–800(159)/2023, दिनांक 20.06.2023 एवं वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ का पत्रांक–1281/14–1, दिनांक 18.12.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ के उपरोक्त पत्रांक–1281/14–1, दिनांक 18.12.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में ऑनलाइन **e-payment portal** के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन ''परिवेश'' पोर्टल पर अपलोड कर एक प्रति में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1535 /11–सी–FP/UP/Road/148569/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।
3. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बलिया।
4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प0का0इ0–आजमगढ।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

O/C

P-1619